न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 313/2025 (GCMS : 2025/421)

1. **कंवर लाल** पुत्र श्री हरीश चन्द्र जाति बावरी निवासी 3 एसडीएस तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **हाल निवासी** वार्ड नम्बर 30, तीन पुली बावरी मोहल्ला, श्रीगंगानगर
2. **कर्मचन्द** पुत्र श्री हरीश चन्द्र जाति बावरी निवासी 3 एसडीएस तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **हाल निवासी** वार्ड नम्बर 30, तीन पुली बावरी मोहल्ला, श्रीगंगानगर

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

27.05.2026

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बत्तरा उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीयान के पिता एवं प्रार्थीगण वर्ष 1989 से लेकर आज तक रकबा अपने नाम से करवाने का प्रयास कर रहे है। माननीय जिला सैशन न्यायालय द्वारा निर्णय होने के बावजूद भी प्रार्थीयान को खातेदारी अधिकार नहीं दिया गया है जबकि सरकार की यह मंशा है कि गरीब आदमी को तुरन्त न्याय दिलाया जावे, मगर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज के साथ –साथ एक निर्धारित अवधि में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करने के आदेश देने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में माननीय जिला सैशन न्यायालय द्वारा निर्णय होने के बावजूद भी प्रार्थीयान को खातेदारी अधिकार नहीं दिया गया है इसलिए इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, पक्षकारों की सुनवाई कर, निर्णय प्राप्त होने के 03 माह में प्रकरण का निस्तारण करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर